

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-2/एल०-64/2024 /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० आमोद कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सदर अस्पताल, खगडिया द्वारा दिनांक-25.09.2021 से 23.12.2021 तक कुल-90 (नब्बे) एवं दिनांक-09.03.2023 से 08.06.2023 तक कुल 92 (बिरानब्बे) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-519(25), दिनांक-10.03.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-64/2024 - 864(2) पटना, दिनांक 24/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिविल सर्जन, खगडिया/कोषागार पदाधिकारी, खगडिया/अधीक्षक, सदर अस्पताल, खगडिया/डा० आमोद कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सदर अस्पताल, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. P. Mallik  
सरकार के उप सचिव।